भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 957

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल भंडारण स्तर

957. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

डॉ हिना विजयकुमार गावीत:

डॉ सुभाष रामराव भामरे:

श्री सुनील दत्तात्रेय तहकरे:

डॉ अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश के प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण स्तर का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश के प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की गणना करने के लिए निर्धारित मापदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत एक वर्ष के दौरान देश के प्रमुख जलाशयों में उपलब्ध जल भंडारण में 1 प्रतिशत की कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने आगामी गर्मी के मौसम के दौरान पानी की कमी की चुनौती से निपटने के लिए कोई रणनीति तैयार की है और राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष भर उक्त जलाशयों में अपेक्षित जल स्तर बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ङ) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश के 91 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और प्रत्येक बृहस्पतिवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। दिनांक 20.06.2019 के अद्यतन बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों में सक्रिय भंडारण उपलब्धता 27.265

बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है, जो कि इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 17% है। इन जलाशयों में सक्रिय भंडारण उपलब्धता पिछले वर्ष की उसी अवधि के सक्रिय भंडारण का 92% है और विगत 10 वर्षों के औसत सक्रिय भंडारण का 93% है।

प्रत्येक जलाशय के लिए भंडारण एलीवेशन कर्व से वास्तविक जल स्तर के संगत भंडारण की गणना की जाती है। बांध प्राधिकरणों, जो कि सामान्यत: राज्य सरकारें, केन्द्रीय और राज्य विद्युत उत्पादक पीएसयू, नगरपालिका और निजी कंपनियां आदि होती हैं, द्वारा, वर्षापात के निर्धारण, बाढ़ स्तर और जल मांग के माध्यम से जलाशयों में अपेक्षित जल स्तरों का अनुरक्षण किया जाता है।

भंडारण में गिरावट के लिए मुख्य कारण आवाह क्षेत्र में कम वर्षा और अवधि के दौरान विभिन्न उपयोग हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सीडब्ल्यूसी ने उपलब्ध जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी की थी, ताकि लोगों को किसी आपदा का सामना न करना पड़े।

जल, राज्य का विषय होने के कारण , वर्षा जल संचयन सहित जल प्रबंधन और संरक्षण संबंधी प्रयास मुख्यत: राज्य की जिम्मेदारी होती है। केन्द्र सरकार, मुख्यत: प्रधान मंत्री कृषि योजना - वाटरशेड विकास घटक और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - बूंद-बूंद से अधिक फसल द्वारा सहायता प्राप्त प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के माध्यम से जल संचयन और संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में सहायता करती है। इन स्कीमों के तहत, विगत तीन वर्षों के दौरान, 17,56,027 जल संचयन और संरक्षण निर्माण कार्यों को पूरा किया गया है, जिसके लिए 23,435.67 करोड़ रूपए केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी किए गए थे।

जल स्तर में गिरावट के नियंत्रण और वर्षा जल संचयन/संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर दिया गया : http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

*****